

प्रेषक,

भूपेश चन्द्र तिवारी।  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,  
यूजेवीएन लि०,  
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक: 16 जनवरी, 2019

**विषय:-** व्यासी जल विद्युत परियोजना हेतु स्वीकृत अंशपूँजी की धनराशि रू० 73.07 करोड़ को विभागीय अभिलेखों में दो परियोजनाओं व्यासी जल विद्युत परियोजना एवं लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना हेतु इंगित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं० 427/यूजेवीएनएल/प्र०नि०/HEP-71 दिनांक 12.04.2018 एवं 1081/यूजेवीएनएल/01/प्रनि/HEP-71 दिनांक 27.09.2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 में शासनादेश सं० 424/1(2)/2010-04(1)/07/09 दिनांक 02.03.2010 के द्वारा रू० 54.16 करोड़ की अंशपूँजी एवं शासनादेश सं० 541/1(2)/2010-04(1)/07/09 दिनांक 15.03.2010 के द्वारा रू० 18.91 करोड़ की अंशपूँजी अर्थात् कुल 73.07 करोड़ की अंशपूँजी व्यासी जल विद्युत परियोजना के लिये स्वीकृत की गयी थी। उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान एन०एच०पी०सी० लिमिटेड द्वारा लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना एवं व्यासी जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु किया गया। इस प्रकार उक्त धनराशि का व्यय व्यासी जल विद्युत परियोजना के अतिरिक्त लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण कार्य के लिये होने के दृष्टिगत यूजेवीएन लि० के प्रस्तुत प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त उक्त वर्णित शासनादेशों में निम्नवत् आंशिक संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- 1- शासनादेश संख्या 424/1(2)/2010-04(1)/07/09 दिनांक 02.03.2010 एवं शासनादेश सं० 541/1(2)/2010-04(1)/07/09 दिनांक 15.03.2010 में व्यासी जल विद्युत परियोजना के स्थान पर लखवाड़ बहुउद्देशीय एवं व्यासी जल विद्युत परियोजना पढ़ा जाय।
- 2- उक्त शासनादेशों के द्वारा स्वीकृत कुल रू० 73.07 करोड़ की अंशपूँजी को स्वीकृत डी०पी०आर० के अनुपातिक आधार पर रू० 20.88 करोड़ की अंशपूँजी व्यासी जल विद्युत



परियोजना (120 मे0वा0) के लिये एवं रू0 52.19 करोड़ की अंशपूजी लखवाड़ बहुउददेशीय परियोजना (300 मे0वा0) के लिये आवंटित समझा जाय।

3- अतः शासनादेश सं0 424 दिनांक 02.03.2010 एवं सं0 541 दिनांक 15.03.2010 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय, शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0 08/XXVII(2)2018-19 दिनांक 11 जनवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(भूपेश चन्द्र तिवारी)  
अपर सचिव

पू0 संख्या- 132/1/2019-04(1)/07/2009 -तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
- 2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, सिंचाई, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- अपर सचिव, वित्त, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- जिलाधिकारी, देहरादून।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
- 8- वित्त अनुभाग-02, उत्तराखण्ड शासन।
- 9- निदेशक-ऊर्जा सैल, उत्तराखण्ड शासन।
- 10-प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 11-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र जोशी)  
उप सचिव